न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावर (दौसा)

मुकदमा नंबर 24/24 (विविध)

1—कजोड सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1—महेन्द्र पुत्र स्वरूप सिंह
2—बबलू } पुत्रान रमेश सिंह
3—विशम्भर
4—बाबूसिंह पुत्र हाकिम सिंह
5—केदार सिंह पुत्र हाकिम सिंह
6—विक्रम सिंह पुत्र हाकिम सिंह
7—कमला बाई पत्नी बिजेन्द्र सिंह
8—राजवीर सिंह पुत्र नवाब सिंह
9—रोहिताश सिंह पुत्र नवाब सिंह
} समस्त जाति राजपूत नौरंगपुरा, तहसील मण्डावर जिला दौसा

10—मेघराज पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी ऊकरूंद, तहसील मण्डावर जिला दौसा

11 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत् अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 3.09.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत् के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नौरंगपुरा तहसील मण्डावर की आराजी खाता सं. 9 खसरा नम्बर 153/470/0.06, 155/0.61, 156/0.63, 158/0.71, 159/0.60, 447/463/0.07 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर में प्रार्थी खातेदार कश्तकार काबिज आराजी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत10 का प्रार्थी की उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है और आये दिन अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 10 प्रार्थी की आराजी की मेड डोल तोडते रहते है और प्रार्थी से लडाई झगडा करने पर उतारू रहते है। दिनांक 5.5.2024 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 अपने हाथो में फावडा, कुल्हाडी व ट्रैक्टर लेकर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर आ गये एवं प्रार्थी के खेतों की डोलमेढ ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दिया एवं खेतों के सीमाचिन्हों को भी नष्ट कर दिया इसी बात पर अप्रार्थीगण सभी आग बबूला हो गये और प्रार्थी को एलानिया धमकी देने लगे। प्रार्थी ने दिनांक 06.5.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

2024 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मण्डावर के समक्ष पेश कर अपने खेतों की सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर तहसीलदार ने प्रार्थी से पत्थरगढी कराने के लिये न्यायालय एसडीएम साहब मण्डावर से आदेश लाने के लिये कहा इसलिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी का सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश तहसीलदार मण्डावर को जरिये पुलिस इमदाद देकर करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। वकील प्रार्थी पक्ष द्वारा रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश की गई। रजिस्टर्ड डाक किये हुये एक महीने से अधिक समय हो गया है। बार–बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अतः इनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी वकील ने सीधे बहस करने का निवेदन किया। बहस सुनी जिसका मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी ग्राम नौरंगपुरा तहसील मण्डावर जिला दौसा में संवत 2071–2074 जमाबंदी 2077 में आराजी खाता सं. 9 खसरा नम्बर 153/470/0.06, 155/0.61, 156/0.63, 158/0.71, 159/0.60, 447/463/0.07 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आता है। इसलिये प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किया जाना न्याय की दृष्टि से उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज.भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर नौरंगपुरा तहसील मण्डावर जिला दौसा में संवत 2071–2074 जमाबंदी 2077 में आराजी खाता सं. 9 खसरा नम्बर 153/470/0.06, 155/0.61, 156/0.63, 158/0.71, 159/0.60, 447/463/0.07 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार मण्डावर द्वारा टीम गठित की जावे एवं सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की जावे तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व खातेदारो को दिनांक व समय बाबत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा पर्चा तैयार किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जावें। तहसीलदार मण्डावर को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.9.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलाश सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) राज.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner